अनुदान संख्या 30 - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
GRANT No. 30 - MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित	*Charged-*				
पूरक	*Supplementary*	*13,00*	*13,00*	*10,44*	*- 2,56*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	2661,29,00	2661,36,00	2160,50,85	-500,85,15
पूरक	Supplementary	7,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				416,84,03
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	80,68,00	122,68,00	109,39,07	-13,28,93
पूरक	Supplementary	42,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	3655.00	3911.85	3883.10	- 28.75
पु.	R.	256.85			
मुख्य शीर्ष “2406”	Major Head “2406”				
वानिकी तथा वन्य जीव	Forestry and Wild life				
मू.	O.	59919.00			
पू.	S.	3.00	73143.43	72231.69	- 911.74
पु.	R.	13221.43			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	16526.00	..	..	..
पु.	R.	-16526.00			
मुख्य शीर्ष "3435" पारिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	Major Head "3435" Ecology and Environment				
मू.	O.	158557.00			
पू.	S.	3.00	113220.97	105966.91	- 7254.06
पु.	R.	-45339.03			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	27471.00			
पू.	S.	1.00	34174.72	33969.15	- 205.57
पु.	R.	6702.72			

(I) ₹18628.00 लाख का प्रावधान इक्कीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹18315.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "पर्यावरण वानिकी - वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण - केंद्रीय प्राणिउद्यान प्राधिकरण" - ₹300.00 लाख ;

(ख) "वनरोपण और पारिस्थितिकी-विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी-विकास कार्यक्रम" -

(i) "राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम" - ₹7500.00 लाख;

(ii) "पारिस्थितिकी-विकास बल" - ₹300.00 लाख;

(I) Provision of ₹18628.00 lakhs remained wholly unutilised under twenty one heads; of these ₹18315.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552"-

(a) "Environment Forestry Wild life- Wild life Preservation- Central Zoo Authority"- ₹300.00 lakhs;

(b) "Afforestation and Eco-Development - National Afforestation and Eco- Development Programme"-

(i) "National Afforestation Programme"- ₹7500.00 lakhs;

(ii) "Eco-Development Forces"- ₹300.00 lakhs;

(ग) ''पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवन/पर्यावरणीय शिक्षा और प्रशिक्षण/विस्तार - पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण विस्तार'' -₹475.00 लाख ;

(घ) ''राष्ट्रीय नदी के प्रदूषण का निवारण - राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम'' - ₹2200.00 लाख;

(ङ) ''वानिकी - वन संरक्षण विकास और पुनरुद्भवन - एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम'' - ₹2080.00 लाख ;

(च) ''पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण''-

(i) ''परियोजना बाघ '' - ₹1410.00 लाख ;

(ii) ''परियोजना हाथी'' - ₹300.00 लाख ;

(iii) ''राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास /वन्य जीव निवास के एकीकृत विकास को सहायता'' - ₹750.00 लाख ;

(छ) ''पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनरुद्भवन - संरक्षण कार्यक्रम'' -

(i) ''जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र'' - ₹150.00 लाख ;

(ii) ''मैंग्रोव पारिस्थितिकी-प्रणाली और आर्द्र भूमि'' - ₹150.00 लाख ;

(ज) ''अन्य (वानिकी और वन्य जीव) - अन्य व्यय - प्रदूषण के उपशमन के लिए सहायता'' - ₹200.00 लाख; और

(झ) ''वानिकी - शिक्षा और प्रशिक्षण - भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद'' - ₹500.00 लाख।

उपर्युक्त तेरह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(c) "Environmental Research and Ecological Regeneration/Environmental/ Education/ and Training/Extension - Environment Education and Training Extension"- ₹475.00 lakhs;

(d) "Prevention of Pollution of National River - National River Conservation Programme"- ₹2200.00 lakhs;

(e) "Forestry – Forest Conservation Development and Regeneration Integrated Forest Protection Scheme"- ₹2080.00 lakhs;

(f) "Environmental Forestry and Wildlife – Wild life Preservation"-

(i) "Project Tiger"- ₹1410.00 lakhs;

(ii) "Project Elephant"- ₹300.00 lakhs;

(iii) "Assistance to Development of National Parks and Sanctuaries/ Integrated Development of Wildlife Habitates" – ₹750.00 lakhs;

(g) "Environmental Research and Ecological Regeneration – Conservation Programme"-

(i) "Biosphere Reserves"- ₹150.00 lakhs;

(ii) "Mangroves Eco-Systems and Wetlands"- ₹150.00 lakhs;

(h) "Others (Forestry and Wildlife) – Other Expenditure – Assistance for Abatement of Pollution" – ₹200.00 lakhs; and

(i) "Forestry – Education and Training – Indian Council of Forestry Research and Education"- ₹500.00 lakhs.

Provisions under the above thirteen heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "3435" - "प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण - अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - राष्ट्रीय नदी के प्रदूषण का निवारण" - ₹2000.00 लाख राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(B) Major Head "3435" - "Prevention and Control of Pollution - Special Component Plan for Scheduled Castes - Prevention of Pollution of National Rivers" - ₹2000.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals from State Governments.

(II) मुख्य शीर्ष "2406" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2406" – savings occurred under the following heads:-

(का) "वानिकी - शिक्षा और प्रशिक्षण - वन प्रबंधन और कार्मिक प्रशिक्षण हेतु क्षमता निर्माण" - ₹1447.07 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयनकारी राज्यों से पुनर्वास प्रस्तावों के प्राप्त न होने और जे आई सी ए परियोजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई ।

(A) "Forestry - Education and Training – Capacity Building for Forests Management and Training of Personnel" – saving of ₹1447.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to non-receipt of the rehabilitation proposals from implementing States and non-finalisation of JICA project.

(खा) "पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण - अन्य स्कीमें" - ₹105.06 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1996.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने और विदेशी दौरे/कार्यशालाओं का आयोजन न किए जाने और कार्यालय आवास किराए न लिए जाने के कारण हुई।

(B) "Environmental Forestry and Wild life - Wild life Preservation - Other Schemes" - saving of ₹105.06 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1996.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in March, 2012) was due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of utilisation certificates and non-conducting of foreign tours/ workshops and non-hiring of office accommodation.

(गा) "वनरोपण और पारिस्थिति-विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थिति-विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थिति-विकास बोर्ड" - ₹418.76 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और कम विदेश दौरे किए जाने के कारण हुई।

(C) "Afforestation and Eco- Development - National Afforestation and Eco-Development Programme - National Afforestation and Eco-Development Board" - saving of ₹418.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less foreign tours undertaken.

(III) मुख्य शीर्ष "3435" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "3435" – savings occurred under the following heads:-

(का) "सर्वेक्षण (वानस्पतिक) - अनुसंधान - भारतीय वनस्पति उद्यान" - ₹111.29 लाख की बचत (₹723.75 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने के कारण हुई ।

(A) "Survey (Botanical) - Research – Indian Botanic Garden" – saving of ₹111.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹723.75 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(खा) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनरुद्भवन"-

(B) "Environment Research and Ecological Regeneration" –

(क) ''पर्यावरणीय आयोजना और समन्वय - सूचना प्रणाली'' - ₹170.29 लाख की बचत (₹764.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नौ पर्यावरण सूचना प्रणाली केन्द्रों के बंद हो जाने के कारण हुई ।

(a) "Environmental Planning and Co-ordination – Environmental Information System" – saving of ₹170.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹764.00 lakhs) was due to closure of nine Environment Information System centres.

(ख) ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन/निकाय'' - ₹175.65 लाख की बचत (₹881.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एशियन ग्रीन फंड समग्र निधि को अंशदान का भुगतान न किए जाने के कारण हुई ।

(b) "International Cooperation – Other International Organisations/Bodies" – saving of ₹175.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹881.00 lakhs) was due to non-payment of contribution towards the Corpus ASEAN GREEN FUND.

(गा) ''प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण'' -

(C) "Prevention and Control of Pollution"-

(क) ''राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण का निवारण - राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम'' - ₹31676.56 लाख की बचत (₹65300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और परामर्शदाताओं तथा स्थापना खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई ।

(a) "Prevention of Pollution of National Rivers - National River Conservation Programme"- saving of ₹31676.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹65300.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage and requirement of less funds towards consultants and establishment expenses.

(ख) ''वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण'' -

(b) "Prevention of Air and Water Pollution" –

(i) ''जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण (उपकर)'' - ₹5690.48 लाख की बचत (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा जल उपकर का विलम्ब से प्रेषण किए जाने की वजह से चार राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जल उपकर की प्राप्तियों की प्रतिपूर्ति न किए जाने के कारण हुई ।

(i) "Prevention and Control of Water Pollution (Cess)" – saving of ₹5690.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs) was due to non-reimbursement of water cess proceeds to four States Pollution Control Boards owing to late remittances of Water Cess proceeds by State Pollution Control Boards.

(ii) ''आम बहिस्रावी शोधक संयंत्रों का संवर्धन'' - ₹301.00 लाख की बचत (₹571.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति ज्ञापन की संशोधित दिशानिर्देशों/संकल्प के अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुई; और

(ii) "Promotion of Common Effluent Treatment Plants" - saving of ₹301.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹571.00 lakhs) was due to delay in approval of revised guidelines/resolution of Expenditure Finance Committee (EFC) Memo.

(iii) ''पर्यावरण प्राधिकरणों की स्थापना'' - ₹697.44 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की

(iii) "Establishment of Environment Authorities" - saving of ₹697.44 lakhs

तुलना में) पांच स्थानों पर अवसंरचना स्थापना पूरी न होने और रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई ।

(iv) "अन्य" - ₹110.01 लाख की बचत (₹150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(ग) "प्रभाव निर्धारण - राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम" - ₹16400.00 लाख की बचत (₹26760.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए निविदाकरण के लिए एनविजन बोलियों को निरस्त करने के कारण हुई ।

(घा) "अन्य - अन्य व्यय" -

(क) "खतरनाक पदार्थ प्रबंधन" - ₹429.02 लाख की बचत (₹3250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना का विलम्ब से कार्यान्वयन किए जाने, संशोधित अनुमान चरणों पर प्रावधान में कटौती किए जाने और प्रदूषित स्थानों के पुनर्वास के राष्ट्रीय कार्यक्रम को संचालित न किए जाने के कारण हुई ।

(ख) "सूचना प्रौद्योगिकी" - ₹192.69 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी हार्डवेयर की पूर्ति और उसको लगाने के लिए पूर्ति और निपटान महानिदेशालय से दावे देर से प्राप्त होने के कारण हुई ।

(ग) "जलवायु परिवर्तन परियोजना" - ₹136.81 लाख की बचत (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने और कुछ क्रियाकलाप का अंतरण अन्य कार्यक्रम को किए जाने के कारण हुई ।

(IV) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹534.58 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11से 94 प्रतिशत थी ।

(against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-completion of setting up of infrastructure at five places and non-filling up of vacant posts.

(iv) "Others" - saving of ₹110.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates.

(c) "Impact Assessment - National Coastal Management Programme" - saving of ₹16400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26760.00 lakhs) was due to cancellation of envision bids for fresh tendering.

(D) "Others – Other Expenditure" –

(a) "Hazardous Substance Management" – saving of ₹429.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3250.00 lakhs) was due to late implementation of project, reduction of provision at revised estimates stage and non-conduction of National Programme for rehabilitation of polluted sites.

(b) "Information Technology" - saving of ₹192.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to late receipt of claims from Director General of Supplies and Disposals towards supply and installation of information technology hardware.

(c) "Climate Change Project" - saving of ₹136.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and shifting of some activities to another programme.

(IV) Under seven heads savings of ₹534.58 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 11 percent to 94 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹13336.11 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2011, नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में ₹7.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2406" -

(क) "वानिकी - अनुसंधान - भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद" - ₹1557.00 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1556.50 लाख था;

(ख) "पर्यावरणीय वानिकी और वन्यजीव - वन्यजीव परिरक्षण - भारतीय वन्यजीव संस्थान" - ₹200.00 लाख ।

(ग) "वनरोपण और पारिस्थिति-विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थिति-विकास कार्यक्रम - ग्रीन इंडिया मिशन" - ₹5000.00 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4994.55 लाख था ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3435" -

(क) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनरुद्भवन"-

(i) "पर्यावरणीय शिक्षा प्रशिक्षण/विस्तार - पर्यावरणीय शिक्षा" - ₹524.56 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹373.56 लाख था ।

(ii) "संरक्षण कार्यक्रम - मैंग्रोव पारिस्थितिकी - प्रणाली" - ₹106.00 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹105.50 लाख था ।

(iii) "पर्यावरणीय आयोजना और समन्वय - उत्कृष्टता केन्द्र" - ₹505.00 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹445.25 लाख था ।

(iv) "अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनरुद्भवन- पारिस्थितिकी विकास बल" - ₹1299.55 लाख ।

2.(I) The above savings were partly (₹13336.11 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹7.00 lakhs in August, 2011, November, 2011 and March, 2012 under the following major heads:-

(A) Major Head "2406"

(a) "Forestry – Research – Indian Council of Forestry Research and Education"- ₹1557.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1556.50 lakhs.

(b) "Environmental Forestry and Wildlife - Wildlife Preservation - Wildlife Institute of India" - ₹200.00 lakhs.

(c) "Afforestation and Eco-Development - National Afforestation and Eco-Development Programme - Green India Mission" - ₹5000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4994.55 lakhs.

(B) Major Head "3435" –

(a) "Environment Research and Ecological Regeneration" -

(i) "Environmental Education Training/ Extension – Environmental Education" – ₹524.56 lakhs. Actual excess, however, was ₹373.56 lakhs.

(ii) "Conservation Programme - Mangroves Eco-System" - ₹106.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹105.50 lakhs.

(iii) "Environmental Planning and Co-ordination – Centres of Excellence" – ₹505.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹445.25 lakhs.

(iv) "Research and Ecological Regeneration - Eco-Development forces" - ₹1299.55 lakhs.

(ख) "प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण - राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण का निवारण - राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम" - ₹3000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2990.00 लाख था ।

(b) "Prevention and Control of Pollution - Prevention of Pollution of National Rivers - National Lake Conservation Programme"– ₹3000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2990.00 lakhs.

(ग) "अन्य - अन्य व्यय" -

(c) "Others – Other Expenditure" -

(i) "जैव-विविधता संरक्षण" - ₹250.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹229.21 लाख था।

(i) "Bio-diversity Conservation" - ₹250.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹229.21 lakhs.

(ii) "प्रदूषण के उपशमन, पर्यावरण नीति और विधि के लिए सहायता" - ₹250.00 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹245.10 लाख था ।

(ii) "Assistance for Abatement of Pollution, Environment Policy and Law"- ₹250.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹245.10 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनरुद्भवन - संरक्षण कार्यक्रम" -

(C) Major Head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes - Environmental Research and Ecological Regeneration - Conservation Programme" -

(क) "मैंग्रोव पारिस्थितिकी - प्रणालियां" - ₹194.00 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹69.00 लाख था ।

(a) "Mangroves Eco-Systems" - ₹194.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹69.00 lakhs.

(ख) "आर्द्रभूमि" - ₹450.00 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹449.00 लाख था ।

(b) "Wetlands" - ₹450.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹449.00 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय" - ₹228.10 लाख का अधिक व्यय (₹3655.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते में वृद्धि से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ ।

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Environment and Forests" - excess of ₹228.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3655.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increase in dearness allowance.

(खा) मुख्य शीर्ष "2406" -

(B) Major Head "2406" –

(क) "पर्यावरणीय वानिकी और वन्यजीव - वन्यजीव परिरक्षण - केन्द्रीय प्राणिउद्यान प्राधिकरण" - ₹300.00 लाख का अधिक व्यय (₹1435.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ ; और

(a) "Environmental Forestry and Wildlife – Wildlife Preservation – Central Zoo Authority" – excess of ₹300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1435.00 lakhs); and

(ख) "वनरोपण और पारिस्थितिकी - विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी-विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय वनरोपण

(b) "Afforestation and Eco-Development - National Afforestation and Eco-Development

कार्यक्रम" - ₹7499.97 लाख का अधिक व्यय (₹20600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3435" - "सर्वेक्षण (प्राणिविज्ञान)" -

(क) "निदेशन और प्रशासन - मुख्यालय कार्यालय" - ₹139.08 लाख का अधिक व्यय (₹519.41 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लम्बित बिलों के समाशोधन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ ।

(ख) "अनुसंधान - मुख्यालय कार्यालय" - ₹230.43 लाख का अधिक व्यय (₹841.58 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते में वृद्धि होने से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ ।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" -

(क) "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(i) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनरुद्भवन - संरक्षण कार्यक्रम - जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र"- ₹149.56 लाख का अधिक व्यय (₹730.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) "वानिकी - वन संरक्षण विकास और पुनरुद्भवन - एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम/वन प्रबंधन का तीव्रीकरण" - ₹1932.62 लाख का अधिक व्यय (₹4150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ ;

(ख) "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान" -

Programme - National Afforestation Programme" - excess of ₹7499.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20600.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) Major Head "3435"– "Survey (Zoological)"-

(a) "Direction and Administration - Headquarters Office" - excess of ₹139.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹519.41 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending bills.

(b) "Research - Headquarters Office" - excess of ₹230.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹841.58 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increase in dearness allowance.

(D) Major Head "3601" –

(a) "Grants for Central Plan Schemes" –

(i) "Environmental Research and Ecological Regeneration – Conservation Programme –Biosphere Reserves" - excess of ₹149.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹730.00 lakhs);

(ii) "Forestry – Forest Conservation Development and Regeneration – Integrated Forest Protection Scheme/ Intensification of Forest Management" - excess of ₹1932.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4150.00 lakhs);

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(i) ''पर्यावरणीय वानिकी और वन्यजीव - प्राणि उद्यान - राष्ट्रीय उद्यान के विकास/वन्यजीव निवास के एकीकृत विकास के लिए सहायता'' - ₹721.00 लाख का अधिक व्यय (₹5750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) ''पर्यावरणीय वानिकी और वन्यजीव - वन्यजीव परिरक्षण''-

(1) ''परियोजना हाथी'' - ₹328.34 लाख का अधिक व्यय (₹1600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ ।

(2) ''परियोजना बाघ - राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को सहायता'' - ₹2000.53 लाख का अधिक व्यय (₹11490.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और बाघ रिजर्व्स तथा भारत में चीता को पुन: पहचान दिलाये जाने के कारण हुआ ।

(iii) ''अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - पर्यावरणीय वानिकी और वन्यजीव - वन्यजीव परिरक्षण'' - ₹933.00 लाख का अधिक व्यय (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाघ रिजर्व के स्थान से गांव के पुन:स्थानन के लिए भुगतान करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹1328.93 लाख) नवम्बर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹4200.00 लाख के पूरक अनुदान का 32 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थीं ।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(i) "Environmental Forestry and Wildlife - Zoological Park – Assistance for Development of National Park/Integrated Development of Wildlife Habitats" - excess of ₹721.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5750.00 lakhs); and

(ii) "Environmental Forestry and Wildlife - Wildlife Preservation" -

(1) "Project Elephant" – excess of ₹328.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1600.00 lakhs).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(2) "Project Tiger – Assistance to National Parks and Sanctuaries" – excess of ₹2000.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11490.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards Tiger Reserves and re-introduction of Cheetah in India.

(iii) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Environmental Forestry and Wildlife - Wildlife Preservation" - excess of ₹933.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of village relocation at the tiger reserves.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹1328.93 lakhs) constituted 32 percent of the supplementary grant of ₹4200.00 lakhs obtained in November, 2011 and 11 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4406" वानिकी और वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4406" Capital Outlay on Forestry and Wildlife				
मू.	O.	550.00	371.00	370.23	-0.77
पु.	R.	-179.00			
मुख्य शीर्ष "5425" अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5425" Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research				
मू.	O.	6418.00			
पू.	S.	4200.00	10797.00	9468.84	-1328.16
पु.	R.	179.00			

(I) मुख्य शीर्ष "5425" - "पारिस्थितिकी विज्ञान और पर्यावरण - नए सिविल निर्माण- कार्य" के अंतर्गत ₹6000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹4200.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹10200.00 लाख का दिया गया था, जो तथापि, अभिकल्प संबंधी कुछ मुद्दों की वजह से लिफ्टों की अधिप्राप्ति के लिए चीन के निरीक्षण दौरे को शहरी विकास मंत्रालय की ओर से अनापत्ति विलम्ब से देने के कारण ₹1140.70 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा ।

(I) Under Major Head "5425" - "Ecology and Environment – New Civil Works" – the original provision of ₹6000.00 lakhs was augmented to ₹10200.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4200.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1140.70 lakhs - due to delay in clearance of inspection visit to China for procurement of Lifts from Ministry of Urban Development owing to some design issues.

(II) मुख्य शीर्ष "4406" - "वानिकी - संचार और भवन - नए सिविल निर्माण कार्य" के अंतर्गत ₹179.77 लाख की बचत (₹550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(II) Under Major Head "4406" – "Forestry – Communication and Buildings – New Civil Works" – saving of ₹179.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹550.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from the State Governments.